90 (5)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 95 / प्र0अ0–भवन / जोन–1 / 2011–12 दिनांक 19/06 / 2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित **कार्यालय भवन मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अभिनव गुप्ता पुत्र श्री ललित मोहन गुप्ता स्थल **साईट नं0–PP सिविल स्टेशन, पार्ट आफ बंगला नं0–9 टी0बी0 सप्रू मार्ग, इलाहाबाद** जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित **कार्यालय भवन** मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 10 वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल का उपयोग / अधिभोग स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही करना होगा, अन्यथा की स्थित मे मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. यह अनुमति / सशर्त है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–75481 / 2011 में अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
8. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
9. मुख्य अभियन्ता–विद्युत, 73 टैगोर टाउन इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या–6855 / मु0अ0(वि0) / इ0क्षे0 / पी–2(मानचित्र) दिनांक 25.04.2012 जिसकी छायाप्रति एतद् संलग्न है मे अंकित शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।
10. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या–517/STCE/11 दिनांक 15.12.2011 मे अंकित प्रतिबन्ध जो मुख्यतः निम्नवत् है का अक्षरशः पालन किया जाना आवश्यक होगा :–
    A. भवन निर्माण के दौरान स्थल पर उपलब्ध किसी भी अवस्थापना सुविधा की क्षति होने पर उसका मरम्मत / निर्माण कार्य भवन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
    B. भवन के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

Continued

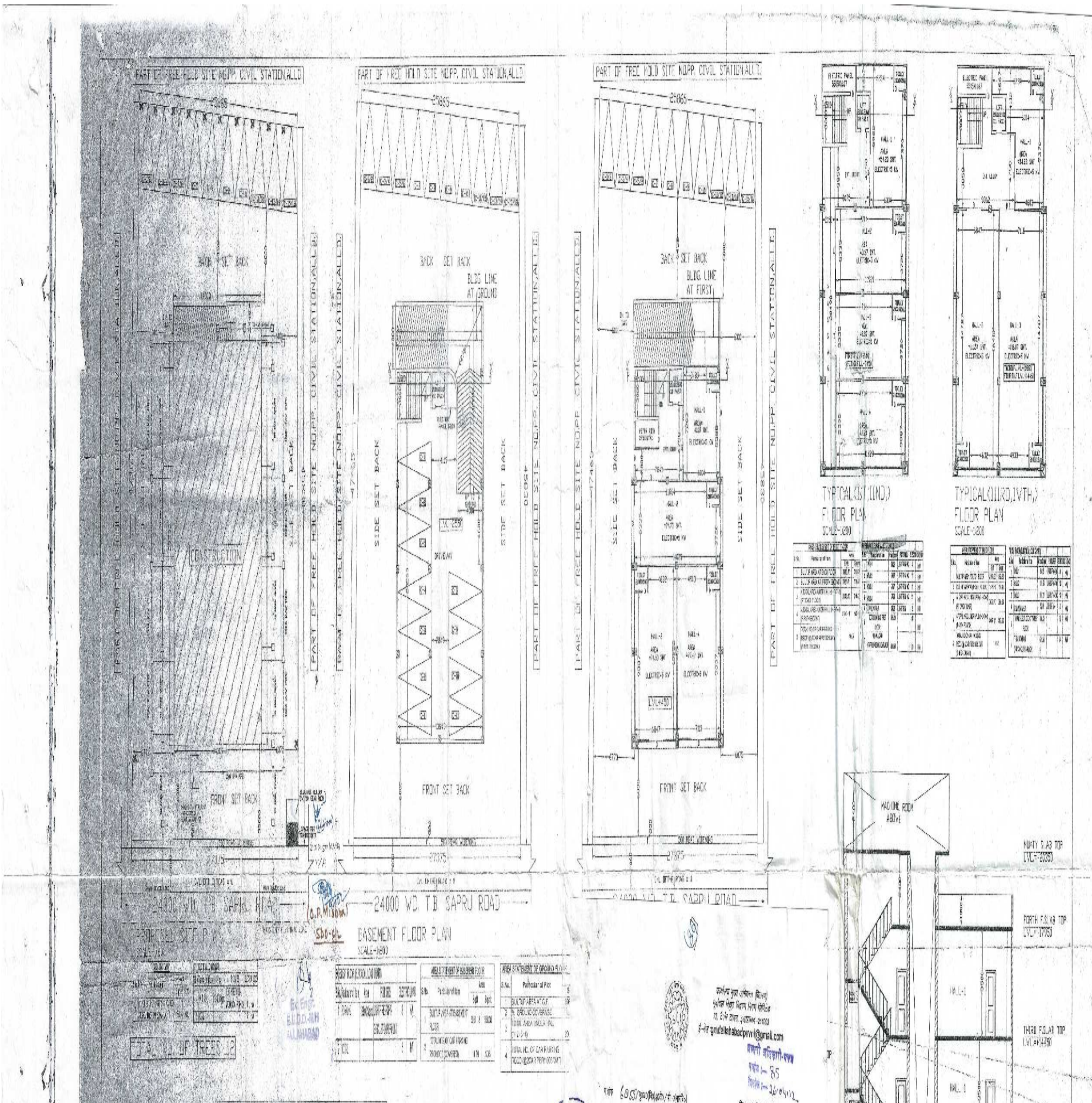

S.No.	Particular of Item	Area Sqft	Area Sqmt
1	TOTAL PLOT AREA(AS PER SALE DEED)	13361.08	1241.33
2	AREA UNDER ROAD WIDENING	147.25	13.68
3	NET PLOT AREA	13214.42	1227.65
4	BULTUP AREA AT GROUND FLOOR	3963.30	368.20
5	% GROUND COVERAGE	29.99	
6	BULTUP AREA AT FIRST FLOOR	3963.30	368.20
7	BULTUP AREA AT SECOND FLOOR	3963.30	368.20
8	BULTUP AREA AT THIRD FLOOR	3963.30	368.20
9	BULTUP AREA AT FOURTH FLOOR	3963.30	368.20
10	TOTAL BULTUP AREA	19816.52	1841.00
11	ACHIVED F.A.R. (%)	1.500	
12	BULTUP AREA AT BASEMENT FLOOR(PARKING)	3963.30	368.20
13	BULTUP AREA AT MUMTY	337.13	31.32
14	PARKING		
15	TOTAL NOS OF CAR PARKING REQD.AT GROUND FLOOR	5.40	NOS
16	TOTAL NOS OF CAR PARKING REQD.AT FIRST FLOOR	4.92	NOS
17	TOTAL NOS.OF CAR PARKING REQD.AT SECOND FLOOR	4.92	NOS
18	TOTAL NOS.OF CAR PARKING REQD.AT THIRD FLOOR	5.63	NOS
19	TOTAL NOS OF CAR PARKING REQD.AT FOURTH FLOOR	5.63	NOS
20	TOTAL CAR PARKING REQD.	26.5	NOS
21	PARKING PROVIDED AT BASEMENT FLOOR (COVERED)	11.00	NOS
22	PARKING PROVIDED AT GROUND FLOOF (OPEN)	16	NOS
23	TOTAL CAR PARKING PROVIDED AT (GROUND+BASEMENT)	27.00	NOS

PROJECT:- PROPOSED OFFICE BUILDING PLAN AT PART OF FREE HOLD SITE NO.PP.CIVIL STATION PART OF BUNGLOW NO.9, T.B. SAPRU ROAD,ALLAHABAD.

OWNER:- MR. ABHINAV GUPTA S/O SHRI LALIT MOHAN GUPTA

THIS IS CERTIFIED THAT BUILDING PLAN IS AS PER BY LAWS OF 2008 AND MASTER PLAN 2021

AKHILESHWAR SINGH
ARCHITECT
B.Arch., M.E., C.O.A.
Reg. No. CA/94/16740

ARCHITECT:-